

1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम का
जनजातियों पर प्रभाव

अधिकांशतः नकारात्मक प्रभाव

1913 के भूमि अधिग्रहण कानून में जनजातियों हेतु
विशेष प्रावधान

1. मत्स्य संभव जनजातियों के भूमि अधिग्रहण को
टाला जाये और जरूरत पड़ने पर ग्राम
सभा एवं स्वायत्त परिषद् की सहमति अनिवार्य
हो।
2. ST परिवार की मुआवजा सामान्य परिवार से
अधिक हो तथा मुआवजा की राशि का $\frac{1}{3}$
भाग अधिग्रहण से पहले दिया जाए।
3. ST को विस्थापन क्षेत्र में ग्राम्प आरक्षण,
PESA वन अधिकार अधिनियम आदि का
लाभ, पुनर्वासित क्षेत्रों में भी प्रदान करने
का प्रावधान।
4. 100 से अधिक परिवारों के विस्थापन पर
जनजातिय विकास योजना का प्रावधान।
5. पुनर्वासित क्षेत्र में 25 अवसरचक्रात्मक सुख
सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
(जनजातियों के लिए उपरोक्त प्रावधान विशेष)

प्रारधान हैं जो अन्य सामान्य प्रारधानों के अतिरिक्त हैं)

समीक्षा / मूल्यांकन / निष्कर्ष :-

निश्चित रूप से नये भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास कानून के उपरोक्त प्रारधानों से जनजातीय समस्या का समाधान और जनजातीय विकास में मदद मिलेगी, परन्तु यह इस बात पर निर्भर करता है कि -

इस कानून के प्रति जनजातीय जागरूकता को उत्पन्न करके कितनी वृद्धि क्षमता के साथ इसको लागू किया जाता है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि -

यह कानून नवीन विकास परियोजनाओं के प्रारम्भ करने के मार्ग में बाधक साबित होगा क्योंकि इससे भूमि अधिग्रहण में अनावश्यक देरी होगी, परन्तु -

यह इस बात पर निर्भर करेगा कि -

इन परियोजनाओं के बारे में कितनी पर्याप्तता एवं कुशल प्रबंधन को प्रदर्शित किया जाता है।

क्योंकि हाल के दिनों में विभिन्न परिपोवनाओं के बिरोध में होने वाले भान्दोलन एवं अनावश्यक दैरी का युष्प कारण कानूनी जटिलता नही बल्कि पारदर्शिता एवं कुशल प्रबंधन का अभाव और बनका नकारात्मक राजनीतिक प्रबंधन रहा है।

अनुपूरित जारि और अनुपूरित जनजारी
(अल्पाचार निवारण) संशोधन अधिनियम-1989

PDF Notes

जनजातीय विकास हेतु योजनागत प्रयास :-

सर्व प्रथम 1952 में जनजातीय विकास से जुड़ी कोई पृथक योजना नही थी और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत जनजातीय विकास पर बल दिया गया।

1955 में जनजातीय विकास से विशेष बहुरक्षेत्रीय विकास खंड के रूप में व्यापक विकास का प्रयास प्रारम्भ -

जिसका नाम तृतीय योजना काल में बदलकर जनजातीय विकास खण्ड कर दिया गया।

सर्वप्रथम 5वीं पंचवर्षीय योजना में जनजातीय विकास हेतु, व्यापक स्तर-समस्त कार्यक्रम लागू किया गया और इसको - जनजातीय अभियान / टारबल सब प्लान (TSP) नाम दिया गया।

जनजातीय अभियान

TSP का उद्देश्य

- (i) आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना।
- (ii) शोषण के विरुद्ध आदिवासियों को संरक्षण प्रदान करना।

२.

TSP हेतु वित्तीय स्रोत

सामान्य राज्य योजनाओं, सामान्य वित्तीय संस्थाओं, केन्द्रीय मंत्रालयों तथा विशिष्ट केन्द्रीय अनुदानों के माध्यम से वित्त पोषण।

वर्तमान में 11 केन्द्रीय मंत्रालयों का प्रतिवर्ष जनजातीय विकास की

कुल योजना आवंटन का 4.3% से 14.5 तक जनजातीय उप-योजना नीति के लिए अधिदेशित किया गया है।

जनजातीय विकास संबंधी अन्य प्रमुख कार्यक्रम/योजनाएँ :-

1. अनुच्छेद 275(A) के तहत - अनुदान योजना (समग्र विकास)

2. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों PVTG की विकास योजना (समग्र विकास)

• प्रधानमंत्री विशेषतः कमजोर जनजाति समूह विकास मिशन - नवम्बर, 2023

1960 में डेबर कमीशन का गठन किया गया

3. अनुसूचित जनजाति के कल्याणार्थ, स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान योजना (समग्र विकास) (1954-2008)

4. अनुसूचित जनजाति के लड़कों/लड़कियों हेतु दत्तावास योजना (शिक्षा विकास)

5. मातृम विद्यालय योजना, 1991/2009 (शिक्षा विकास)

6. मैट्रिक श्रृंखला एवं मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना 2012 (शिक्षा विकास)
7. राष्ट्रीय अध्येष्टावृत्ति एवं छात्रवृत्ति योजना (2012-2017)
8. राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना, 2017
9. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना 1997-98 (शिक्षा विकास)
10. अम्बेला योजना, 2017 (शिक्षा विकास)
11. ऑनलाइन लीडर्स कार्यक्रम (GOAL) 2020 (डिजिटल शिक्षा विकास)
12. संकल्प से सिद्धि : वन धन मिशन, 2021
13. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (2001) द्वारा संचालित योजनाएँ (कौशल विकास | आर्थिक विकास)
14. जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (TRIFED), 1987 (कौशल विकास और आर्थिक विकास)
- MFP के लिए MSP योजना, 2014 (आर्थिक विकास)

- जनजाति उत्पाद के लिए विकास एवं विपणन हेतु संस्थागत समर्थन योजना, 2014 (आर्थिक विकास)
- वन, धन योजना, 2018 (कौशल विकास)
- Go Tribal Abhigyan, 2019 (आर्थिक विकास)
- Tech for Tribal Scheme, 2020 (कौशल विकास)
- * 15. वन बंधु कल्याण योजना, 2014-15 (समग्र विकास)

जनजातीय विकास कार्यक्रम समीक्षा एवं सुभाव :-

निश्चित रूप से जनजातीय विकास हेतु किए गए उपरोक्त प्रयासों से भारतीय जनजातियों की स्थिति में सुधार हुआ है।

परन्तु अभी भी हम अपेक्षित लक्ष्य से दूर हैं और भारतीय जनजातियों एक पिछड़े समुदाय के रूप में चिन्हित की जा रही हैं (वर्तमान में जनजातियों के विकास के निम्न स्तर के संकेतकों की जांच करें।)

इस सिद्धांत की स्थिति के लिए निम्न कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है - जैसे - जनजातियों में गरीबी का निम्न स्तर फलतः वे उपलब्ध भोजनाओं के लाभ का समुचित उपयोग नहीं कर पाये।

- जनजातीय आवश्यकताओं को समझे बिना ही उनके लिए विकास योजनाएँ सुनिश्चित करना फलतः

- भोजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में राजनीतिक हित प्रमुख रहे।

- भोजनाओं के क्रियान्वयन में हठबद्धता के कारण अभाव और क्रियान्वित करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों में संबंधनशीलता का अभाव रहा।

- जनजातीय समुदाय में जागरूकता का अभाव एवं शिक्षा के कारण वे इन भोजनाओं के लाभ से वंचित रहे।

- योजनाओं के क्रियान्वयन में विभिन्न एजेंसियों और विभागों के मध्य समन्वय।
- इन योजनाओं का विखंडित रूप से चलाया गया - फलतः वे परिणामी नहीं हो पाए।

सोचनागर प्रयासों को सफल बनाने हेतु:-

- (1) जनजातीय विकास ~~विभाग~~ योजनाओं का निर्माण करते हुए इनकी परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाए।
- जनजातीय विकास योजनाओं के केन्द्रीकृत स्वरूप के स्थान पर विकेंद्रित स्वरूप को अपनाया जाए।
- जनजातीय विकास से जुड़ी सभी योजनाओं को एकीकृत किया जाए और संसाधनों के अनावश्यक दुरुपयोग से बचा जाए।
- योजनाओं एवं कार्यक्रमों को दृष्टिकोशक्ति के साथ, भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से लागू किया जाए और इन योजनाओं को राजनीतिकरण से बचाया जाए।

साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन में शामिल विभिन्न एजेंसियों के मध्य समन्वयन स्थापित किया जाए और कर्मचारियों को संवेदनशील बनाया जाये।

- शिक्षा का प्रसार आदि तरीकों से योजनाओं के लाभ जाचरे हेतु जनजातियों को प्रेरित किया जाए, पारदर्शिता को बढ़ाकर तथा योजनाओं का प्रचार-प्रसार करके जनजातियों के सहभागिता में वृद्धि किया जाये।

